

## RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION

D Block, Swasthya Bhawan, Tilak marg, C-scheme JAIPUR  
Ph: 0141-2228066 Fax: 0141-2228065 email: [rmsc@nic.in](mailto:rmsc@nic.in), url: [www.rmsc.nic.in](http://www.rmsc.nic.in)

Letter No. 1322

Date: 05 Sep, 2012


प्रभारी अधिकारी  
जिला औषधि भण्डार  
(समस्त)

विषय:- दवाईयों की Short Excess Report को WPR के स्थान पर, ई-औषधि साफ्टवेयर के माध्यम से शीघ्र भेजने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अभी तक आपके द्वारा दवाईयों की Short Excess Report को WPR के माध्यम से या उसके साथ संलग्न करके भिजवाई जा रही थी। Short Excess Report के आधार पर दवाईयों की Shifting व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे ई-औषधि साफ्टवेयर में शामिल कर डाटा एन्टर करने हेतु ऑनलाईन कर दिया गया है। अतः भविष्य में ई-साफ्टवेयर के माध्यम से ही Short Excess Report को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

यह ज्ञात रहे कि जिस दवा की एक बार Short / Excess की एन्ट्री कर दी गई है उसी की पुनः एन्ट्री तब तक ना करे, जब तक कि वह दवा पुनः Short / Excess की स्थिति में ना आए। चूंकि यह अति महत्वपूर्ण है इसलिए आदिनांक तक की Short Excess की एन्ट्री आज ही करवाया जाना सुनिश्चित करें। Short Excess की एन्ट्री करने के सम्बन्ध में मेन्यूअल इस आदेश के साथ संलग्न है।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

  
प्रबन्ध निदेशक  
आर0एम0एस0सी0

संलग्न :-

1. ई-औषधि साफ्टवेयर पर सूचना अपलोड करने की प्रक्रिया (Manual)।